10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3784/एक/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30–07–12 के द्वारा अपर कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 54/निगरानी/11–12

....

1– श्रीमती सुलोचना पटेल पत्नी रामसनेही सिंह
निवासी–ग्राम अबेर तहसील कोटर
जिला सतना म0प्र0

.............आवेदक

विरूद्ध

1. सुरेन्द्र सिह श्री सुर्यवली सिह
निवासी– ग्राम अबेर तहसील कोटर
जिला–सतना म0प्र0

............अनावेदक

....

श्री एम0 के0 अग्निहोत्री, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पुष्पेन्द्र सिंह अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कोटर जिला–सतना म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.12 के विरुद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि गैरगिराकार के आवेदन पर अधीक्षक भू–अभिलेख के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षको के सीमांकन दल द्वारा ग्राम अबेर की कुल 17 किता आराजियात का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार कोटर की ओर भेजा गया। तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन के प्रमाणीकरण का जो आलोच्य आदेश दिनांक 29.08.11 को अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया उसी से दुखित होकर अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 30.7.12 को निगरानी अस्वीकार की है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण ने प्रस्तुत निगरानी में अन्य बातो के अलावा मुख्य रुप से यह बताया है कि आ0 नं0 164/1, 165/1, का भूमिस्वामी निगरानीकर्ता कमांक–1 तथा आराजी कमांक 162 का भूमिस्वामी निग0 क0 2 है। आवेदित आ0 नं0 171/5 बटांक है, और नक्शो में तरमीम नहीं है। ।गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर दिनांक 16.06.16 के लिये सूचाना जारी की गयी। निगराकार मौके पर उपस्थित हुए। सीमांकन के लिये सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख उपस्थित हुऐ। सीमांकन प्रारंभ किया, परन्तु बन्दोबस्ती सीमा चिन्हों का मिलान न होने से सीमांकन की कार्यवाही तैयार की गयी, जबकि मौके पर सीमांकन किया नही गया। अधीनस्थ न्यायालय से धारा 250 के प्रकरण की सूचना मिलने पर सीमांकन प्रमाणीकरण के आलोच्य आदेश की जानकारी निगरानीकर्तागण को हुई । आलोच्य आदेश निरस्त करने योग्य है।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित किया है उसमें कहीं कोई त्रुटि परिलखित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण तलब किया गया। तर्क का अवसर दिये जाने पर उभय पक्ष की ओर से मौखिक तर्क जरिए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किय गये। सीमाकन की विधिवत सूचना न होने बटांको का नक्शों में तरमीम बगैर सीमांकन करने बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह का आधार लिये बगैर सीमाकन कार्यवाही मौके से नाप बगैर किये जाने के कारण आलोच्य आदेश का निरस्तगी योग्य बताया गया। गैरनिग0 द्वारा प्रस्तुत तर्क में निगरानी का खण्डन करते हुए बताया गया कि अधीक्षक भू—अभिलेख के गठित सीमांकन दल द्वारा विधिवत सीमांकन कार्यवाही मौके से की गयी है। सीमांकन की निगरानीगण को सूचना थी और मौके से उपस्थित थे विधिवत सीमांकन कार्यवाही हुई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार आदेश पारित किया है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू—अभिलेख सतना के द्वारा बनाई गयी राजस्व निरीक्षक व सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख की टीम द्वारा मौके से विधिवत सीमांकन कार्यवाही की गयी है। सीमांकन कार्य दिनांक 16.06.16 से 18.06.11 तक किया गया है। दिनांक 16.06.11 के लिये सूचना होने की बात निगरानी मेमों के पृष्ठ —2 के प्रथम व द्वितीय पंक्ति में स्वतः निगराकार ने स्वीकार किया है। सीमांकन दल द्वारा किये गये सीमांकन प्रतिवेदन का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणीकरण करने में कोई वैधानिक त्रुटि नही की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है।

7—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 54/निगरानी/11—12 में पारित आदेश दिनांक 30.7.12 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर